न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, जनपद औरैया।

परिवाद संख्या–590/2024

CNR No. UPAU120016442024

नीरज कुमार बनाम राजेश कुमार

अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट
थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–22.10.2024

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षी की तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि परिवादी ने विपक्षी के साथ मिलकर साझेदारी में प्राइवेट श्री गणेश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पनकी रोड कल्यानपुर में खोला था। हिस्सेदारी के लेन देन में विपक्षी पर परिवादी का रूपया बकाया था। रूपये की अदायगी हेतु विपक्षी ने परिवादी को एक चैक दिनांकित 21.05.2024, चैक संख्या 000516 मुवलिग 5,00,000/–रुपये, खाता संख्या 083201002849, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, शाखा अशोकनगर कानपुर की दी और विपक्षी ने कहा कि इसे अपने खाते में लगा देना और भुगतान करा लेना। परिवादी ने उक्त चैक दिनांक 22.05.2024 को अपने खाता पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बिधूना, जिला औरैया के अपने खाते में भुगतान हेतु लगायी, तो उपरोक्त चैक परिवादी को ''ड्रावर सिगनेचर डिफर्स'' की टिप्पणी के साथ दिनांक 23.05.2024 को वापस कर दी गयी। परिवादी ने जब विपक्षी से फोन से सम्पर्क किया तो विपक्षी ने कहा कि एक दो दिन बाद चैक पुनः लगाना, आपका भुगतान हो जायेगा। जब परिवादी ने उक्त चैक दिनांक 03.06.2024 को अपने उक्त खाते में भुगतान हेतु लगायी, तो उपरोक्त चैक आप विपक्षी के खाता में अपर्याप्त निधि की टिप्पणी के साथ पुनः दिनांक 04.06.2024 वापस कर दी गयी। परिवादी ने जब विपक्षी से पुनः फोन से सम्पर्क किया, तो आप विपक्षी ने कहा कि हम खाते में पैसा डाल देंगे, एक दो दिन बाद चैक पुनः लगाना, आपका भुगतान हो जायेगा, जब परिवादी ने उक्त चैक दिनांक 06.06.2024 को अपने उक्त खाते में भुगतान हेतु लगायी, तो उपरोक्त चैक परिवादी को ''पेमेंट स्टॉप्ड वाई ड्रावर'' की टिप्पणी के साथ पुनः दिनांक 07.06.2024 वापस कर दी गयी। विपक्षी की नियत में खोट आ गयी है और विपक्षी परिवादी का रुपया हड़पना चाहता है। विपक्षी द्वारा जानबूझकर अपने खाते में रूपये न होते हुए परिवादी को चैक जारी की गई है, जो कि लिखित पराकम्य अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। परिवादी ने अपना रूपया वापस लेने बावत अभियुक्त को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भी दिया था, जो नोटिस विपक्षी को प्राप्त हो चुका है, किन्तु म्याद गुजरने के बावजूद अभियुक्त द्वारा परिवादी का रुपया अदा नहीं किया गया। विपक्षी का यह कृत्य धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत अपराध की परिधि में आता है। अतः विपक्षी को उपरोक्त अपराध में तलब करने की कृपा करें।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में स्वयं का शपथ पत्र, मूल चैक, चैक वापसी का ज्ञापन/मैमोरेण्डम, रजिस्ट्री रसीद की छायाप्रति, रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 20.06.2024 दाखिल किये गये हैं।

परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को जरिये धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत शपथ पत्र के माध्यम से परीक्षित कराया गया, जिसमें उसने परिवाद कथानक का समर्थन किया है। परिवादी द्वारा विपक्षी द्वारा दी गयी चैक को बैंक में भुगतान हेतु लगाने के बाद बैंक द्वारा अन्तिम बार दिनांक 07.06.2024 को वापस कर दी गयी। परिवादी द्वारा विपक्षी को दिनांक 20.06.2024 को लीगल नोटिस भेजी गयी। परिवादी द्वारा उक्त परिवाद समय सीमा के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2024 को संस्थित किया गया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षी राजेश

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2024.10.22 16:26:15 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna

कुमार के विरूद्ध धारा 138 एन0आई0 एक्ट का अपराध बनना प्रतीत होता है। तद्नुसार विपक्षी राजेश कुमार अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **राजेश कुमार** को अन्तर्गत धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्त को सम्मन जारी हो। परिवादी पैरवी अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 20.11.2024 को पेश हो।

(प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिधूना, औरैया।
J.O. Code: UP 3441

यहकि प्रार्थी व विपक्षी के बीच पहले अच्छे सम्वन्ध थे। इसी सम्वन्ध के तहत प्रार्थी व विपक्षी का आपस में लेना देना चलता था।

2. यहकि प्रार्थी की थोक व फुटकर की दुकान प्रियंका टेडर्स के नाम से हैं व विपक्षी की दुकान करव गुरुसहायंगज में गेहूँ घान व अन्य वस्तुओ की खरीद व निकी हेतु दुकान है।

3. यहकि विपक्षी प्रार्थी की दुकान से 2,20,000 रूप्ये का धान खरीद कर टैक्टर से लगे प्रार्थी को पैसे नहीं दिये वाद में कई बार विपक्षी से पैसे मांगे तो उन्होने 2,20,000ध रूपये की चौक काटकर दे दी

4. यहकि प्रार्थी को विपक्षी ने चौक दे दी तव प्रार्थी ने दिनॉक ध्ध्2024 को चौक संख्या 106710 पंजाव नैशनल बैंक जिसका खाता संख्या 64333000100056536 है। उसमे प्रार्थी ने चौक अपने बैंक अंकाउण्ट में दिनाँक 23ध्07ध्2024 को थ्नदके पदेनापिबपमदज की प्रवत्ति के वापस कर दी गई।

5. यहकि इस प्रकार विपक्षी द्वारा दी गई चौक अनादरण होने से परिवादी को वहुत आर्थिक नुकसान व मानसिक क्लेश हुआ और जव परिवादी

चन्द्रशेखर

यहकि प्रार्थी व विपक्षी के बीच पहले अच्छे सम्वन्ध थे। इसी सम्वन्ध के तहत प्रार्थी व विपक्षी का आपस में लेना देना चलता था।

2. यहकि प्रार्थी की थोक व फुटकर की दुकान प्रियंका टेडर्स के नाम से हैं व विपक्षी की दुकान करव गुरुसहायंगज में गेहूँ घान व अन्य वस्तुओ की खरीद व निकी हेतु दुकान है।

3. यहकि विपक्षी प्रार्थी की दुकान से 2,20,000 रूप्ये का धान खरीद कर टैक्टर से लगे प्रार्थी को पैसे नहीं दिये वाद में कई बार विपक्षी से पैसे मांगे तो उन्होने 2,20,000ध रूपये की चौक काटकर दे दी

4. यहकि प्रार्थी को विपक्षी ने चौक दे दी तव प्रार्थी ने दिनॉक ध्ध्2024 को चौक संख्या 106710 पंजाव नैशनल बैंक जिसका खाता संख्या 64333000100056536 है। उसमे प्रार्थी ने चौक अपने बैंक अंकाउण्ट में दिनाँक 23ध्07ध्2024 को थ्नदके पदेनापिबपमदज की प्रवत्ति के वापस कर दी गई।

5. यहकि इस प्रकार विपक्षी द्वारा दी गई चौक अनादरण होने से परिवादी को वहुत आर्थिक नुकसान व मानसिक क्लेश हुआ और जव परिवादी